REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092024-257154 CG-DL-E-13092024-257154

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3602] No. 3602]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024/भाद्र 22, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024/BHADRA 22, 1946

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2024

# 50 किलोग्राम सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन दूसरा आदेश 2024

**का.आ. 3938(अ).**—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, 50 किलोग्राम सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 50 किलोग्राम सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश 2024 है। (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

 50 किलोग्राम सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 6 दिसंबर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्याक का.आ. 5178(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्याक का.आ. 2181(अ), तारीख 4 जून, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

### MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2024

### TEXTILES — HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) / POLYPROPYLENE (PP) WOVEN SACKS FOR PACKAGING OF 50 KG CEMENT (QUALITY CONTROL) SECOND AMENDMENT ORDER 2024

**S.O. 3938(E).**— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) / Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, namely: -

**1. Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) /Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Second Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) / Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

"(2) It shall come into force on the  $6^{th}$  day of December, 2024".

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5178(E), dated the 6<sup>th</sup> December, 2023 and subsequently amended vide number S.O. 2181(E), dated 4<sup>th</sup> June, 2024.

## अधिसूचना

## नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2024

## 50 किलोग्राम सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए लेमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वॉल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश 2024

**का.आ. 3939(अ).**—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, 50 किलोग्राम सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए लेमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वॉल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 50 किलोग्राम सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए लेमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वॉल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

 50 किलोग्राम सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए लेमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वॉल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 6 दिसंबर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्याक का.आ. 5179(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्याक का.आ. 2182(अ), तारीख 4 जून, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

### NOTIFICATION

### New Delhi, the 13th September, 2024

### TEXTILES — POLYPROPYLENE (PP) WOVEN, LAMINATED BLOCK BOTTOM VALVE SACKS FOR PACKAGING OF 50 KG CEMENT (QUALITY CONTROL) SECOND AMENDMENT ORDER 2024

**S.O. 3939(E).**— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, namely: -

**1. Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Second Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

"(2) It shall come into force on the  $6^{th}$  day of December, 2024".

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5179(E), dated the 6<sup>th</sup> December, 2023 and subsequently amended vide number S.O. 2182(E), dated 4<sup>th</sup> June, 2024.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2024

# डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथीलीन (एचडीपीई) लेमिनेटिड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश 2024

**का.आ. 3940(अ).**—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथीलीन (एचडीपीई) लेमिनेटिड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथीलीन (एचडीपीई) लेमिनेटिड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

 डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथीलीन (एचडीपीई) लेमिनेटिड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 6 दिसंबर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्याक का.आ. 5181(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्याक का.आ. 2183(अ), तारीख 4 जून, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2024

#### TEXILES —POLYPROPYLENE (PP) HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) LAMINATED WOVEN SACKS FOR MAIL SORTING STORAGE, TRANSPORT AND DISTRIBUTION (QUALITY CONTROL) SECOND AMENDMENT ORDER, 2024

**S.O. 3940(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023, namely: -

**1. Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Second Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

"(2)It shall come into force on the 6<sup>th</sup> day of December, 2024".

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5181(E), dated the 6<sup>th</sup> December, 2023 and subsequently amended vide number S.O. 2183(E), dated 4<sup>th</sup> June, 2024.